

4-11-19

[Signature]

न्यायालय एस.डी.ओ., जहाजपुर

पत्रावली पेश है/नहीं है।
आज पीठासीन अधिकारी उपस्थित
व्यस्त है।/दौरे में है।/को...
अतः पत्रावली 21-1-20 को पेश हो।

न्यायालय एस.डी.ओ., जहाजपुर

21/20

पत्रावली पेश हुई।/.../प्रतिवादी उपस्थित
है/नहीं है।
आज पीठासीन अधिकारी नहीं, अन्य राजकार्य में
व्यस्त है।/दौरे में है।/को...
अतः पत्रावली 04-3-20 को पेश हो।

[Signature]

न्यायालय एस.डी.ओ., जहाजपुर

04/3/20

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री उपस्थित
वकील श्री ने बहक करी-चाही।
वकील श्री की बहक हुई नहीं। वकील
श्री ने बहक के दौरान बलया की न्यायालय
डाला निरीक किया गया निरीक डिप्टी
कुल के तहसीलदार जहाजपुर के स्थान
पर निरीक में तहसीलदार शाहजुप
गलत डकक कर दिया गया। जबकी
श्री शरत जहाजपुर तहसील जहाजपुर
से संबंधित है। इसलिए श्री का
श्रीका पत्र तहसील कार्यालय
निरीक के तहसीलदार शाहजुप के स्थान
पर तहसीलदार जहाजपुर निरीक का
संबंधित निरीक जारी जारी है।

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशाल्य, जज

निवेदन किया गया। मैंने विडान अधिकारी
 की बहक पर भवन किया। एवं पत्रावली
 का अवलोकन किया गया। वाड
 अवलोकन के स्पष्ट हैं की निवेदन में
 विपिनीय मुल है तदनीलजा जहाज
 के स्थान पर तदनीलजा शाहपुरा गलत
 भंजन का दिया गया। यही उक्त निवेदन
 मुझे की उक्त मलाहिया तदनील जहाज
 है की संबंधित है कि उक्त स्थान पर
 तदनीलजा जहाज ही अंकित किया पता
 का लेकिन विपिनीय मुल पर तदनीलजा
 शाहपुरा का भंजन हो गया। कि मामला
 जहाँ के प्रयोग पर की सीमा किया
 जाता उक्ति प्रसारा है।

अतः जहाँ का प्रयोग पर सीमा
 किया जाता है की तदनीलजा शाहपुरा
 के स्थान पर तदनीलजा जहाज
 संबंधित की जाण संशोधित डिफ़ी
 जारी किया जाने का अर्थ दिया
 जाता है।
 पत्रावली मिला युवा बेका
 म्बर है कम है।


 उपखंड अधिकारी
 जहाजपुर (भीलवाडा)